न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/38/2025 **दायर दिनांक 06.08.2025**

उनवान

1. दोली पिता भगवान लाल लखारा निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

—— वादीया

बनाम

1. दिनेश पिता धनराज जाति पोखरना आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। (विलोपित)
2. देवीलाल पिता हजारी जाति गारू आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन चित्तौड़गढ (राज.)।
3. श्रीलाल पिता उदयलाल तेली आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. पूरणमल पिता हिरा लाल लुहार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 13.01.2026

–:निर्णयः–

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा दांता के हल्के बैरूनी में आ.नं. 816, 817, 818 कुल किता 03 कुल रकबा 0.78 है0 स्थित है जो रेवेन्यु रेकार्ड में वादीया के नाम पर दर्ज होकर वादीया का ही कब्जा है, वो ही लगान अदा करती है प्रतिवादीगण का मुझ वादीया की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व आधिपत्य नहीं है।

यह कि दिनांक 05/06/2008 को सुबह 10 बजे का वकवा है कि प्रतिवादीगण मुझ वादीया की आराजीयात पर आये और मिट्टी खोदना चाहा व जबरन कब्जा करने पर आमादा हुये जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वो मेरे खाते कब्जे की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की कोई दस्तन्दाजी न करें और न करावें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं है न होने की दशा में मुझ वादीया को अपार क्षति होगी जो रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी मुकदमेंबाजी बढ जायेगी स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वो स्वयं उनके नौकर एजेन्ट परिवार के सदस्य मेरे खाते कब्जे की आराजीयात में किसी प्रकार की कोई दस्तन्दाजी न स्वयं करें और न अपने परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट से ही करें या करावें।

यह कि प्रथम दृष्ट्या मामला वादीया के पक्ष में है चूंकि वो खातेदार काश्तकार होकर आराजीयात उसके कब्जे में है और अगर जबरन कब्जा कर लेंगे तो उन्हें बेदखल करने में काफी परेशानी होगी सुविधा सन्तुलन वादी वादीया के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

यह कि वाद कारण दिनांक 05/06/2008 एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रही है जबकि प्रतिवादी ने जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वादपत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अन्त में प्रार्थना की कि– वादीया के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण के इस अमर की जारी की जावें कि वो स्वयं उनके नौकर एजेन्ट, परिवार के सदस्य वादीया की आ.नं. 816, 817, 818 मौजा दांता की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की कोई दस्तन्दाजी न स्वयं करें और न करावें। अन्य दाद मुफिद वादीया हो दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

1. वादपत्र की कलम संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि वादीया की जमीन के क्या नम्बर है इसकी जानकारी हम प्रतिवादीगण को नहीं है।

2. वादपत्र की कलम संख्या 2 पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है। सारे तथ्य वादीया ने गलत व मन मकसूद अंकित किये है। वादीया किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। चुंकि वादीया ने महज शंका के आधार पर वाद पेश किया है।

3. वाद पत्र की कलम संख्या 3 गलत होने से स्वीकार नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने में वादीया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने की स्थिति में हम प्रतिवादीगण को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नही की जा सकेगी। वादीया झूठे मुकदमें की आड में हम प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा प्लॉटो की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहती है।

4. वाद पत्र की कलम संख्या 4 गलत होने से स्वीकार नहीं है।

5. वाद पत्र की कलम संख्या 5 न्यायालय के विचारणीय हैं।

6. वादपत्र की कलम संख्या 6 गलत होने से स्वीकार नही है। वादीया को कोई बिनाय वाद हेतु पैदा नहीं हुई है, बिनाय वाद दिनांक भी वादीया ने मन मकसूद अंकित की है। शपथ पत्र भी वादीया ने गलत पेश किया है।

<u>विशेष कथन–</u>

7. यह कि वादीगण की जमीन के पश्चिम दिशा में ग्राम पंचायत करूंकडा की आबादी भूमि स्थित है जिसके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्यों के हक में जारी कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर रखा है जिस पर प्रतिवादीगण ने अपना निवास व बाडेबना रखें है। प्रतिवादीगण ने अपनी कब्जेशुदा जमीन के पूर्व दिशा की ओर थोहरों की बाड कर रखी है जो वर्षो पुरानी है एवं पुराने वृक्ष है एवं प्रतिवादी श्रीलाल के भूखण्ड के पूर्व दिशा में 25 वर्षो पुरानी पक्की दीवाल बनी हुई है इससे भी स्पष्ट है कि वादीया ने मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये झूठा दावा किया है।

8. यह कि वादीया की खातेदारी की जमीन पर न तो प्रतिवादीगण का कब्जा है एवं न ही प्रतिवादीगण ने कब्जा करने की कोई धमकी दी। मात्र वादीया ने शंका के आधार पर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हम प्रतिवादीगण को जलील व परेशान करने की दृष्टि से झूठा वादपत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

9. यह कि जवाब दावा की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद वादीया निरस्त फरमाया जावें एव हम प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा खर्चा दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादीया प्रतिवादीगण के खिलाफ आ0नं0 816, 817, 818 मौजा दांता की आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है।

––जिम्मे वादीया

2. आया प्रतिवादी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर ही अपना मकान बना कर निवास कर रहे है।

––जिम्मे प्रतिवादी

3. दादरसी

साक्ष्यवादी में वादीया दोली पिता भगवानलाल लखारा निवासी दांता का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। व दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराया जो जमाबन्दी प्रदर्श–1 है। साक्ष्यवादी जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में नारायणलाल पिता टोलु जाति जाट निवासी दांता, पूरणमल पिता हीरालाल जाति लुहार निवासी दांता, वरदु पिता जोधा जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी दांता, चम्पालाल पिता चुन्नीलाल जाति जाट निवासी दांता के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो क्रमशः D1 से D5 है। साक्ष्य प्रतिवादी जिरह वकील वादी द्वारा की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

<u>तनकी संख्या 1</u> आया वादीया प्रतिवादीगण के खिलाफ आ0नं0 816, 817, 818 मौजा दांता की आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित कराने का जिम्मा वादीया का था। उक्त तनकी को साबित कराने हेतु साक्ष्यवादी में वादीया ने बयान प्रस्तुत किये। साथ ही संलग्न दस्तावेजों में वादवर्णित आराजीयात में वादीया रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है, परन्तु उक्त प्रदर्श– D1 के अवलोकन से आराजी संख्या 816, की भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार A, B, C, D भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रमशः काबिज है। उक्त कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा कब से किया है यह वादीया सिद्ध कराने में असफल रही। उक्त तनकी आंशिक रूप से वादीया के पक्ष में सिद्ध होती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> आया प्रतिवादी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर ही अपना मकान बना कर निवास कर रहे है। उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा प्रदर्श D2 से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

D5 प्रदर्श अंकित किया है जिस पर बयानों में पक्का निर्माण होने का निवेदन किया है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण सिद्ध कराने में सफल रहे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि आराजी संख्या 816 संलग्न मौका रिपोर्ट की A, B, C, D भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। उक्त कब्जा वादपत्र प्रस्तुत होने से पूर्व का है। वकील वादीया द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि कब्जेशुदा आराजीयात A, B, C, D भूमि को छोडते हुए शेष आराजीयात पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना फरमावें। वादीया द्वारा तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से सिद्ध कराये जाने में सफल रहने से वादीया अपना वादपत्र आंशिक सिद्ध कराने में सफल रही। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा दांता के हल्के बैरूनी में आ.नं. 816, 817, 818 कुल किता 03 कुल रकबा 0.78 है0 स्थित है में प्रदर्श D1 में संलग्न नजरी नक्शा में आराजी संख्या 816 में कब्जेशुदा हिस्से A, B, C, D भूमि को छोडते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वादीया की खातेदारी व कब्जे तक की आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं प्रतिवादीगण न ही ऐसा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन